प्रस्तुति जमा करने के लिए मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय विकलांगता पक्ष-समर्थन फ्रेमवर्क (एनडीएएफ) [National Disability Advocacy Framework (NDAF)] की समीक्षा

अप्रैल 2022

# **परिचय**

राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र एक नए राष्ट्रीय विकलांगता पक्ष-समर्थन ढांचे (एनडीएएफ) का मसौदा तैयार करने के लिए साथ-मिलकर काम कर रहे हैं, जो अब जनपरामर्श के लिए उपलब्ध है।

प्रस्तुति जमा करने के लिए इस मार्गदर्शिका का उद्देश्य नए एनडीएएफ के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया विकसित करने में विकलांगता-ग्रस्त लोगों और प्रमुख हितधारकों को सहायता देना है, ताकि वे भविष्य में विकलांगता पक्ष-समर्थन की दिशा को प्रभावित कर सकें।

# **हम फ्रेमवर्क की समीक्षा क्यों कर रहे हैं?**

2012 में मूल एनडीएएफ जारी किए जाने के बाद से विकलांगता पक्ष-समर्थन परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (एनडीआईएस) [National Disability Insurance Scheme (NDIS)] का आरंभ किया जाना शामिल है, जिसके फलस्वरूप 2015 में एनडीएएफ के बारे में परामर्श की शुरूआत हुई थी और 2018 में एक विकलांगता पक्ष-समर्थन तथ्यपत्रक (Disability Advocacy Factsheet) प्रकाशित किया गया था। 2017 में एनडीआईएस गुणवत्ता एवं सुरक्षा आयोग की स्थापना की गई थी और 2019 में विकलांगता-ग्रस्त लोगों के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण (Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability) के लिए राजकीय आयोग की स्थापना की गई थी।

एक अन्य महत्वपूर्ण विकास *ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021-2031* [*Australia’s Disability Strategy 2021-2031*] (कार्यनीति) का प्रकाशन किया जाना है, जिसमें इस बात को मान्यता दी गई है कि पक्ष-समर्थन से लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने और समुदाय में उनके समावेश व भागीदारी के लिए बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है।

13 दिसंबर 2019 को भूतपूर्व विकलांगता सुधार परिषद (डीआरसी) [Disability Reform Council (DRC)] ने इस तथ्य के लिए सहमति[[1]](#footnote-1) व्यक्त की कि स्वतंत्र विकलांगता पक्ष-समर्थन का वित्त-पोषण सभी न्यायाधिकार-क्षेत्रों की साझा जिम्मेदारी है। एनडीएएफ विकलांगता पक्ष-समर्थन के लिए न्याधिकार-क्षेत्रों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और राष्ट्रमंडल नए एनडीएएफ का मसौदा तैयार करने के लिए राज्यों और क्षेत्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

विकलांगता सुधार मंत्री बैठक (डीआरएमएम) [Disability Reform Ministers’ Meeting (DRMM)] विकलांगता नीति और कार्यान्वयन में राष्ट्रीय सुधार को आगे बढ़ाने के प्रयोजन से विकलांगता नीति के लिए जिम्मेदार राष्ट्रमंडल और राज्य व राज्य-क्षेत्र के मंत्रियों के लिए मंच प्रदान करती है। डीआरएमएम ने जनपरामर्श को आगे ले जाने के लिए एनडीएएफ के मसौदे को समर्थित किया है।

एनडीएएफ को एक विकलांगता पक्ष-समर्थन कार्य योजना द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो इसके उद्देश्य, सिद्धांतों और परिणामों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाएगी। कार्य योजना को राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र की सरकारों के बीच विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा। कार्य योजना को विकलांगता-ग्रस्त लोगों के साथ संलग्नता के माध्यम से सूचित किया जाएगा और जहां उचित हो, कार्यनीति की लक्षित कार्य योजनाओं (Strategy’s Targeted Action Plans) के साथ संरेखित किया जाएगा। विकलांगता पक्ष-समर्थन, कार्यनीति की सुरक्षा लक्षित कार्य (Strategy’s Safety Targeted Action) योजना का एक हिस्सा है, जिसे [यहां](https://www.disabilitygateway.gov.au/document/3176) देखा जा सकता है।

# **आप अपनी बात** सामने **कैसे** रख सक**ते**/सकती **हैं?**

हम विकलांगता-ग्रस्त या विकलांगता पक्ष-समर्थन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को नए एनडीएएफ के संबंध में प्रस्तुति जमा करने के लिए पुरजोर प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको डीएसएस संलग्नता (DSS Engage) पर भी प्राप्त हो सकता है। आप इन तरीकों से यह कर सकते/सकती हैं:

* DSS संलग्नता पर उपलब्ध परामर्श वेबसाइट पर जाएँ।
* लिखित प्रस्तुति को ईमेल disabilityadvocacysecretariat@dss.gov.au पर भेजें।
* इस पते पर हमें लिखित प्रस्तुति भेजें:

Disability Advocacy Policy

GPO Box 9820

Department of Social Services

Canberra ACT 2601

यदि आप डीएसएस संलग्नता के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुति जमा करते/करती हैं, तो आपको यह उल्लिखित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या आप डीएसएस वेबसाइट पर अपनी प्रस्तुति को प्रकाशित किए जाने के इच्छुक होंगे/होंगी।

यदि आप ईमेल या डाक के माध्यम से अपनी प्रस्तुति को भेजते/भेजती हैं, तो कृपया उल्लिखित करें कि क्या आप अपनी प्रस्तुति को ऑनलाइन प्रकाशित किए जाने के इच्छुक होंगे/होंगी।

प्रस्तुति जमा करने की अंतिम तिथि 3 जून 2022 को शाम 5:00बजे है।

# **आप**की प्रस्तुति में **क्या** शामिल हो सकता **है?**

कृपया अपनी प्रस्तुति को विकसित करते समय मार्गदर्शिका के रूप में नीचे दिए गए प्रश्नों का उपयोग करें:

1. क्या आपको लगता है कि पक्ष-समर्थन के बारे में आपकी विचारणा नए एनडीएएफ में शामिल है? यदि नहीं, तो कौन से परिवर्तन करने की आवश्यकता है?
2. क्या विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए पक्ष-समर्थन बदलते हुए विकलांगता परिवेश में एनडीएएफ के **[सिद्धांतों](#_Principles)** के वितरण का मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त हैं, जिसमें एनडीआईएस का संदर्भ भी शामिल है? यदि नहीं, तो कौन से परिवर्तन करने की आवश्यकता है?
3. क्या एनडीएएफ के **[परिणाम](#_Outcomes)** स्पष्ट और हासिल करने योग्य हैं? क्या कुछ अन्य को शामिल किया जाना चाहिए? यदि हां, तो क्या शामिल किया जाना चाहिए?
4. क्या एनडीएएफ की **[जिम्मेदारियाँ,](#_Outputs) सुधार और नीतिगत निर्देश** प्रासंगिक हैं या कुछ अन्य को शामिल किया जाना चाहिए?
5. क्या एनडीएएफइस बात की **पहचान करता है कि** वर्तमान और भविष्य के विकलांगता परिवेश में **क्या आवश्यक है**? यदि नहीं, तो कौन से परिवर्तन करने की आवश्यकता है?
6. क्या आपके पास एनडीएएफ के बारे में कोई अन्य टिप्पणियाँ, विचार या सुझाव हैं?

यदि परामर्श प्रक्रिया के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया disabilityadvocacysecretariat@dss.gov.au पर ईमेल भेजें।

# अगले कदम

राष्ट्रमंडल, राज्य और राज्य-क्षेत्र एनडीएएफ को अंतिम रूप देने के लिए इस परामर्श से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया का उपयोग करेंगे।

एनडीएएफ के बारे में प्रतिक्रिया पर विचार किए जाने के बाद अंतिम एनडीएएफ को अनुमोदन के लिए विकलांगता सुधार मंत्री बैठक (Disability Reform Ministers’ Meeting) में प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद सामाजिक सेवाएँ विभाग (Department of Social Services) की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

1. आरंभ में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने इस निर्णय के साथ असहमति व्यक्त की थी, किंतु फिर एनडीएएफ के नए मसौदे का समर्थन किया है। [↑](#footnote-ref-1)